

कार्यकारी सारांश

गांव बालावाला, तहसील एवं जिला- देहरादून, उत्तराखंड में सोंग -1 नदी की तलहटी से लघु खनिज (रेत, बजरी एवं शिलाखंड) का खनन

(श्रेणी-ए परियोजना ; क्षमता: 5999400.00 TPA)

उत्पादन (प्रतिपूर्ति अध्ययन रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार)-1074572.16 TPA

(राजाजी टाइगर रिजर्व परियोजना स्थल से 8.50 Km की दूरी पर स्थित हैं)



परियोजना प्रस्तावक उत्तराखंड वन विकास निगम



अध्ययन अवधि: दिसंबर 2019- फरवरी 2020

[MCPL/EMD/MIN/2019-20/09/01\(DEIA\)](#)

[November, 2021](#)



द्वारा तैयार

मैटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।

(मान्यता प्राप्त सलाहकार संगठनों/Rev 16/ नवम्बर 15, 2021 की सूची के अनुसार क्रमांक 168 पर क्यूसीआई से

मान्यता प्राप्त ईआईए सलाहकार)

(एनएबीईटी मान्यता प्राप्त ईआईए सलाहकार, MoEF & CC और एनएबीएल NABL प्रयोगशाला)

पर्यावरण प्रभाग, डी-36, सेक्टर-6, नोएडा-201 301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष 0120-4215000, 0120-

4215807 फैक्स। 0120-4215809,

e-mail : environment@manteccconsultants.com

1 भूमिका

मैसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम (UKFDC) उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है। निगम का गठन वनों के बेहतर संरक्षण, पर्यवेक्षण और विकास के लिए किया गया। राज्य के भीतर वन उपज के बेहतर दोहन और उससे जुड़े मामलों के लिए भी किया गया था।

निगम न केवल अपने वित्तीय पहलू में आगे बढ़ रहा है बल्कि अपनी गतिविधियों के विविधीकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

मैसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम (यूकेएफडीसी) ने सोंग-1 नदी तल से उपखनिज चुगान हेतु 5999400.00 टन प्रति वर्ष संग्रहण कर नदी जल प्रवाह को नदी तल के मध्य क्षेत्र में संकेन्द्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

2 परियोजना प्रस्ताव

यह परियोजना क्षेत्र देहरादून जनपद के बालावाला गाँव के निकट स्थित देहरादून वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत सोंग नदीतल में 202.00 है० क्षेत्र से लघु उपखनिज जैसे रेत, बजरी और बोल्टर के खनन कार्य हेतु प्रस्तावित है।

आवेदक द्वारा इस परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व ईआईए अधिसूचना '2006 एवं पश्चातवर्ती संशोधनों के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी आवेदित की गयी है। इस परियोजना के ईआईए/ईएमपी को तैयार करने हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम(प्रस्तावक एजेन्सी) ने **मैनटेक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा** को अनुबन्धित किया गया है। चूंकि, यह प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र **राजाजी टाइगर रिजर्व से** Km की दूरी पर स्थित है, यह "श्रेणी ए" और ईआईए अधिसूचना 2006 की अनुसूची खंड संख्या 1 (ए) और इसके बाद के संशोधनों के अंतर्गत आता है। आशय पत्र (एलओआई) संदर्भ संख्या के माध्यम से 38 खनन / आशय पत्र / वॉवि०नि०/ भू० खनि० ई०/2018-19 दिनांकित 24.7.2018 और पत्र संख्या के माध्यम से. 1039/खनन/ आशय पत्र / वॉवि०नि०/ भू० खनि० ई०/2018-19 दिनांकित 05/11/2018- खान एवं भूविज्ञान विभाग, उत्तराखंड के निदेशक द्वारा जारी किया गया है।

तालिका 1.1 परियोजना का विवरण

क्रमांक	विशिष्टियाँ	विवरण
ए	पट्टा क्षेत्र विवरण	
	परियोजना की प्रकृति एवं क्षेत्रफल	प्रस्तावित परियोजना देहरादून जनपद के अन्तर्गत बालावाला ग्राम के निकट आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत सोंग-1 नदी तल के

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश

		202.00 हेक्टेयर क्षेत्र से रेता, बजरी एवं बोल्टर जैसे लघु उपखनिज चुगान कार्य हेतु प्रस्तावित है।		
ख	परियोजना क्षेत्र की अवस्थिति			
	जियोग्रैफिकल कोर्डिनेट्स	स्तम्भ संख्या	अक्षांश	देशान्तर
		A.	30°16'59.44" N	78°07'32.04"E
		B.	30°16'46.97" N	78°07'41.17" E
		C.	30°16'33.22" N	78°07'48.15" E
		D.	30°16'17.99" N	78°07'58.49" E
		E.	30°15'56.75" N	78°08'00.61" E
		F.	30°15'33.96" N	78°08'10.24" E
		G.	30°15'15.44" N	78°08'18.40" E
		H.	30°15'03.15" N	78°08'20.32" E
		I.	30°14'50.83" N	78°08'23.26" E
		J.	30°14'39.95" N	78°08'26.10" E
		K.	30°14'30.01" N	78°08'33.36" E
		L.	30°14'27.63" N	78°08'19.80" E
		M.	30°14'39.70" N	78°08'14.66" E
		N.	30°14'46.90" N	78°08'13.44" E
		O.	30°14'58.43" N	78°08'08.69" E
		P.	30°15'11.28" N	78°08'06.15" E
		Q.	30°15'31.93" N	78°07'58.67" E
		R.	30°15'53.21" N	78°07'44.76" E
		S.	30°16'17.49" N	78°07'35.42" E
		T.	30°16'28.20" N	78°07'23.01" E
		U.	30°16'40.55" N	78°07'16.24" E
		V.	30°16'55.48" N	78°07'13.20" E
	टोपोशीट (ओ0एस0एम0) नम्बर	53 J/4		
ग	परियोजना क्षेत्र का विवरण			
	परियोजना का क्षेत्रफल	202.00 है०		
	परियोजना क्षेत्र का भूतल स्वरूप	प्रस्तावित परियोजना का स्वरूप लहरदार नदी तल का है।		
	परियोजना क्षेत्र की समुद्र तल के सापेक्ष स्थिति	प्रस्तावित परियोजना समुद्रतल से 547.4 मी एम एस एल से लेकर 605.2 मी एम एस		

		एल तक स्थित है। (स्रोत: खनन योजना)
घ	परियोजना का लागत विवरण	
	परियोजना की लागत	रु. 4.18 करोड़
	ईएमपी के लिए लागत	रु 95.53 लाख (पूजीगत लागत) 23.53 लाख रु0 /वर्ष (आवर्ती लागत)
	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	रु 1.00 लाख/वर्ष (पूजीगत गत) रु 5.00 लाख/वर्ष (आवर्ती लागत)
सी	क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति	
	परियोजना क्षेत्र के 10 कि०मी० परीधि में स्थित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र) राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व / संरक्षित वन आदि	<ul style="list-style-type: none"> • राजाजी टाइगर रिजर्व ~ 8.50 किमी, प० • सौर रिजर्व फॉरेस्ट ~0 किमी, उ०प० • बडकोट रेंज रिजर्व फॉरेस्ट ~9.4 द०पू० • ऋषिकेश आरक्षित वन ~2.8 किमी, प०
	5किमी के दायरे में अंतर्राज्यीय सीमा	कोई नहीं
	निकटतम शहर/प्रमुख शहर	देहरादून ~ 8.44 किमी, W
	निकटतम रेलवे स्टेशन	हरवाला रेलवे स्टेशन ~ 3.6 किमी, W
	निकटतम राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग NH-72 (हरिद्वार देहरादून रो) ~ 4.0 किमी, पू०
	निकटतम हवाई अड्डा	जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ~8.75किमी, SE (हवाई दूरी)
	निकटतम डाकघर	नाठुवाला पोस्ट ऑफिस ~1.0 किमी, W
	निकटतम पुलिस स्टेशन	नेहरु कॉलोनी पुलिस स्टेशन .~ 7.50 किमी
	चिकित्सा सुविधाएं	कैलाश हॉस्पिटल ~ 6.71किमी, रायपुर गवर्मेन्ट हॉस्पिटल ~ 2.50 किमी,
	शिक्षा सुविधाएं	<ul style="list-style-type: none"> • दयालबाग एजुकेशन इंस्टिट्यूट स्टडी सेण्टर ~ 9.6 किमी, पू०द०पू० • एकेसिया पब्लिक स्कूल ~ 5.5 किमी, पू० द० पू०

भूकंपीय क्षेत्र	जोन-IV (१८९३:२००२ के अनुसार)
जल स्रोत	<ul style="list-style-type: none">सोंग नदी ~ 0.1 किमी, पू० द० पू०झाकण नदी ~ 7.92 कि.मी पू०

3. परियोजना विवरण

प्रस्तावित परियोजना ओपन कास्ट मैनुअल एवं सेमी मैकेनाइज्ड मैथड से प्रतिवर्ष सोंग-1 नदी तल से 5999400.00/1074572.16 टन रेत, बजरी एवं बोल्टर जैसे उपखनिज संग्रहण कर नदी जल प्रवाह को नदी तल के मध्य क्षेत्र में संकेन्द्रित कर वर्षाकाल में आने वाली बाढ़ से नदीतल के कटाव को रोककर परियोजना क्षेत्र के निकट स्थित वनों एवं ग्रामीणों के परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है।

परियोजना क्षेत्र में उपखनिजों का कुल भूगर्भीय रिजर्व 12003328.26 टन है तथा खनन योग्य उपखनिज (Mineable reserve) की मात्रा 5999400.00 टन प्रतिवर्ष है। खनन कार्य बेंचों में किया जायेगा तथा प्रति बेंच की अधिकतम गहराई 3.0 मीटर होगी। खनन कार्य के कारण नदी तल में निर्मित गड्ढे आगामी मौनसूनी वर्षाकाल के दौरान प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण हो जायेगा। उपखनिजों का परिवहन ट्रक एवं ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से कराया जायेगा। उत्पादित उपखनिजों का उपयोग आधारभूत संरचनाएँ, जैसे बिल्डिंग, सड़क तथा पुल आदि विकास कार्यों के निर्माण में प्रमुखता से किया जाता है। नदी तल में उपलब्ध उपखनिज मिट्टी एवं चिपचिपा तलछटों से मुक्त है। परियोजना के लिए कुल पानी की आवश्यकता 55.4 किलोलीटर प्रति दिन है। परियोजना के लिए प्रतिदिन जनशक्ति की आवश्यकता 670 है। परियोजना क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कैटीन, विश्राम स्थल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, पानी और बिजली आदि की व्यवस्था उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा की जायेगी।

इस प्रस्तावित परियोजना के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद एवं याचिका लंबित नहीं है। यह प्रस्तावित परियोजना (1893:2002 के अनुसार) भूकंपीय क्षेत्र के जोन IV के अंतर्गत स्थित है।

4. पर्यावरण का विवरण

वायु, ध्वनि, जल, मृदा, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के लिए प्रस्तावित खनन के संबंध में पर्यावरण संबंधी आंकड़े एकत्र किए गए हैं। प्राथमिक डेटा के निर्माण के साथ-साथ साइट और परिवेश से द्वितीयक डेटा और सूचनाओं का संग्रह मानसून के बाद के मौसम यानी दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान किया गया था।

ईआईए अध्ययन माइन लीज (कोर ज़ोन) और माइन लीज बाउंड्री (बफ़र ज़ोन) से 10 Km की दूरी के भीतर के क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, दोनों में एक साथ अध्ययन क्षेत्र शामिल है।

तालिका 1-2: आधारभूत स्थिति

गुण	आधारभूत स्थिति
<p>परिवेशी वायु गुणवत्ता</p> <p>परिवेशी वायु गुणवत्ता की आधारभूत स्थिति का आकलन वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क के माध्यम से किया गया है। वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम में निगरानी नेटवर्क का डिजाइन निम्नलिखित बातों पर आधारित है:</p> <p>ए) खान पट्टों के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व।</p> <p>ब) नीचे की हवा की दिशा और क्रॉस-अनुभागीय वितरण का प्रतिनिधित्व</p> <p>सी) आवासीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व</p> <p>डी) क्षेत्रीय पृष्ठभूमि स्तरों का प्रतिनिधित्व</p> <p>इ) संवेदनशील रिसेप्टर का प्रतिनिधित्व</p> <p>एफ) मौसम संबंधी स्थितियां (मुख्य हवा की दिशा और हवा की गति)।</p> <p>जी) अध्ययन क्षेत्र की स्थलाकृति।</p>	<p>कुल 8 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई और कण पदार्थ 10 अधिकतम मान खदान स्थल पर 67 माइक्रोग्राम/घन मीटर के रूप में और भोपल्पनी ग्रांट में 42 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का न्यूनतम मूल्य देखा गया है ।</p> <p>कुल 8 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई और कण पदार्थ 2.5 का अधिकतम मोथरोवाल पर 38 माइक्रोग्राम/घन मीटर और भोपल्पनी ग्रांट में न्यूनतम 23 माइक्रोग्राम/घन मीटर पाया गया।</p> <p>परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कुल 8 स्थानों पर की गई और SO₂ का अधिकतम हरिकेश नगर में 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और न्यूनतम मान 6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया।</p> <p>परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कुल 8 स्थानों पर की गई और भोपल्पनी ग्रांट में NO₂ अधिकतम मान 28 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और बरसी ग्रांट में न्यूनतम 14 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया।</p>

<p style="text-align: center;">शोर का स्तर</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. देहरादून 2. मानव विहार 3. भोपालपानी अनुदान 4. डोईवाला 5. बरसी अनुदान 6. भनीवाला 7. मोथरोवाला 8. हिरिखेशो 	<p>ध्वनि की निगरानी कुल 8 स्थानों पर की गई थी और दिन के दौरान दर्ज शोर का स्तर क्रमशः 58.3 Leq dB से 48.5 Leq dB और रात के समय शोर का स्तर क्रमशः 48.5 Leq dB से 39.6 Leq dB था।</p>
<p style="text-align: center;">पानी की गुणवत्ता</p> <p>भूजल स्टेशन:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. देहरादून 2. मानव विहार 3. भोपालपानी अनुदान 4. डोईवाला 5. बरसी अनुदान 6. भनीवाला 7. मोथरोवाला 8. हिरिखेश <p>भूतल जल केंद्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मिने साइट 2. नकरौंदा के पास 3. नालाबरसी अनुदान के पास 4. पास जल निकाय 5. सांग नदी U/S 	<p>कुल 8 स्थानों पर भूजल की निगरानी की गई</p> <ul style="list-style-type: none"> • pH का मान 7.21 से 7.96 के बीच भिन्न होता है • कुल कठोरता 161 से 293 मिलीग्राम/लीटर के बीच होती है। • कुल घुले हुए ठोस पदार्थ 251.0 से 403.0 मिलीग्राम/लीटर के बीच होते हैं। • फ्लोराइड 0.51 से 0.77 मिलीग्राम/ली के बीच होता है • क्लोराइड 56.0 से 105.0 मिलीग्राम/लीटर के बीच होता है <p>सतही जल - सतह की निगरानी 4 स्थानों पर की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> • पीएच 7.34 से 7.81 तक भिन्न होता है • कुल कठोरता 123.00 से 139.0 मिलीग्राम/लीटर के बीच होती है। • कुल घुले हुए ठोस पदार्थ 227.00 से 212 mg/L तक भिन्न होते हैं। • फ्लोराइड 0.37 से 0.78 मिलीग्राम/ली के बीच भिन्न होता है • क्लोराइड 42 से 64 मिलीग्राम/लीटर के बीच होता है • सीओडी 48.0 से 76 मिलीग्राम/ली तक भिन्न होता है • बीओडी <6 से 10 मिलीग्राम/ली तक भिन्न होता है
<p style="text-align: center;">मिट्टी की गुणवत्ता</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. देहरादून 2. मानव विहार 	<p>कुल 8 स्थानों पर मिट्टी की निगरानी की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> • pH का मान 7.15-7.84 के बीच होता है। • भोपालपानी अनुदान 415 माइक्रोन/सेमी की अधिकतम विद्युत चालकता दिखाता है, मोथरोवाला गांव

3.भोपालपानी अनुदान	<p>माइक्रोन/सेमी की न्यूनतम विद्युत चालकता दिखाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> मैग्नीशियम का मान 2.35 meq/100g से लेकर भानीवाला में सबसे कम और बरसाती ग्रांट में 2.84 meq/100g सबसे अधिक है। औसत एकाग्रता की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में मिट्टी के नमूने मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की औसत सांद्रता 9.2 से 11.4 मिलीग्राम /100 ग्राम, 0.57 से 0.96 मिलीग्राम/100 ग्राम और 4.0 से 6.0 मिलीग्राम/100 ग्राम के बीच होती है।
4.डोईवाला	
5.बरसी अनुदान	
6.भनीवाला	
7.मोथरोवाला	
8.हिरिखेशो	

ख) सामाजिक आर्थिक वातावरण

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन (SEIA) किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र (अध्ययन क्षेत्र / प्रभाव क्षेत्र) में रहने वाले मानव की विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के व्यवस्थित विश्लेषण को संदर्भित करता है। सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन (SEIA) का मुख्य उद्देश्य लोगों, उनके परिवारों और समुदायों के जीवन और स्थितियों पर प्रस्तावित विकास परियोजना के संभावित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना है।

Habitations in the study area

क्रमांक नहीं।	गाँव	क्रमांक नहीं।	गाँव
1	सकलाना रेंज	47	अमवाला मांझाला
2	लवरखा	48	सौंधौवाली मानसिंह
3	सिला	49	नानूर खेरा
4	धौला गिरि	50	अमवाला ताराल
5	मैथे	51	लाडपुर
6	निहाल दंड	52	सुंदरवाला
7	श्रीपुर	53	हरियाली
8	भरवा कटाली	54	मंगलुवाला

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश

9	महेंद्र पुरी	55	द्वार
10	डबरी	56	अखंडवाली भीलंगी
11	दुबारा	57	सोडासरोली
12	कोकलियाल गांव	58	कालीमती
13	डंडा गांव	59	बरसी अनुदान
14	गवली डंडा	60	भोपालपानी अनुदान
15	चिपलती लग्गा गवली डंडा	61	पाव वाला सोडा
16	जयंतवारी	62	चकबंजारेवाला
17	झोटी उर्फ कोटि लग्गा जयंतवार	63	बंजारेवाला माफिक
18	तोलिया कटाली	64	मोथारो वाला
19	सौदान लग्गा गवली दांडी	65	बद्रीपुर
20	रागर गांव	66	हरिपुर
21	ऐरल गांव	67	नवादा
22	सीरा	68	चाकतौवाला अनुदान
23	घुर्सल गांव	69	बालावाला
24	सरखेत	70	मियांवाला
25	किरसाली	71	मोहकम पुर कला
26	गुजरारा मानसिंह	72	मोहकम पुर खुरदी
27	जगतखाना	73	मजारी माफिक
28	डंडा लाखोंडो	74	हरवाला
29	डंडा खुदानेवाला	75	नकरौंदा
30	डंडा धोरानी	76	कुवान वाला
31	डंडा नूरीवाला	77	नागल ज्वालापुर

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश

32	भंडारीवाला	78	सिमलास ग्रांट
33	पुस्तारी	79	लच्छी वाला
34	बन्वथा	80	मिसर वाला कला
35	खेरी मानसिंह	81	मिसर वाला खुर्दो
36	कालागांव	82	मार्खम ग्रांट
37	गुजरामी	83	घिसर परी
38	अस्थल	84	डोईवाला
39	रेनीवाला	85	हंसुवाला
40	सेराकी	86	लच्छीवाला रेंज
41	वा	87	लैंडवाकोटी
42	बझेटे	88	हलद्वारी
43	तिब्बनाला पानी	89	नहीं कलानी
44	हटवलगाँव	90	जकारो
45	अमवाला करनपुर	91	फ़ार्टिज़
46	अमवाला उपरला	92	संगों
93	सिंधवाल गांव	122	बिशन गढ़ो
94	कोटला	123	बैरागड़ा
95	नाहिखुर्दो	124	सारंगधरवाला
96	बडेरा कलानी	125	भोगपुर
97	बडेर्ना खुर्दो	126	चकबरकोट
98	तमोली गढ़ो	127	बरकोट माफिया
99	तलाई	128	रानी पोखरी अनुदान
100	धारकोट	129	मौजा रानी पोखरी

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश

101	सिमियानाही	130	लिस्ट्राबाद
102	बडेराना मझला	131	कालूवाला
103	कुठार	132	संगतिया वालाकला
104	कटकोट खुर्दो	133	भागलाना
105	कटकोट कलानी	134	बडोवाला
106	सिरोनो	135	बरुवाला अनुदान
107	घंडोल	136	जौलिग्रान्ट
108	चौकी	137	संगतिया वालाखुर्दो
109	काकनवामयचक तलाई	138	बक्सर वाला
110	कोटिमय चाको	139	कन्हर वाला
111	रामनगर डंडा	140	अधूरवाला
112	कंडोगला	141	भानिया वाला
113	कुधाली	142	जीवन वाला
114	गदूल	143	फतेहपुर डंडा
115	पाली	144	साहब नगर
116	खलधारी	145	बरकोट रेंज
117	बागी	146	थानो रेंज
118	बंगाई		शहरी इलाका
119	नौरतुवाला	147	देहरादून
120	रखवाल गांव	148	नत्युवा वाला
121	गोविंद वाला	149	नाथन पुरी

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश


अध्ययन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय रूपरेखा नीचे दी गई है:-

क्रमांक	विवरण	संख्या	संबंधित कुल का प्रतिशत
1	कुल जनसंख्या	250971	100
	पुरुष	130151	51.9
	महिला	120820	48.1
	लिंग अनुपात		928
2	जनसंख्या समूह आयु (6-0)	29108	100
	पुरुष	15507	53.3
	महिला	13601	46.7
	लिंग अनुपात		877
3	जनसंख्याजाति अनुसूचित -	30881	100
	पुरुष	16303	52.8
	महिला	14578	47.2
	लिंग अनुपात		894
4	जनसंख्याजनजाति अनुसूचित -	1749	100
	पुरुष	941	53.8
	महिला	808	46.2
	लिंग अनुपात	858	
5	कुल साक्षर	192218	100
	पुरुष	105768	55.0
	महिला	86450	45.0
	साक्षरता में जेंडर गैप		10.0
6	समग्र साक्षरता दर		86.6
	पुरुष		92.3
	महिला		80.6
	साक्षरता में जेंडर गैप		11.7
7	कुल श्रमिक	86312	100
	पुरुष	65409	75.8
	महिला	20903	24.2
	कार्य भागीदारी में जेंडर गैप		51.6
8	मुख्य कार्यकर्ता	67248	100
	पुरुष	53878	80.1
	महिला	13370	19.9
	कार्य भागीदारी में जेंडर गैप		60.2
9	सीमांत श्रमिक	19064	100
	पुरुष	11531	60.5
	महिला	7533	39.5
	कार्य भागीदारी में जेंडर गैप		21.0

मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश


10	घरेलू औद्योगिक श्रमिक	2503	100
	पुरुष	1903	76.0
	महिला	600	24.0
11	कुल कृषि श्रमिक	11131	100
	पुरुष	7870	70.7
	महिला	3261	29.3
12	किसान	8191	100
	पुरुष	5394	65.9
	महिला	2797	34.1
13	कृषि श्रम	2940	100
	पुरुष	2476	84.2
	महिला	464	15.8
14	अन्य कार्यकर्ता	53614	100
	पुरुष	44105	82.3
	महिला	9509	17.7

कुल जनसंख्या विवरण




मेसर्स उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा सोंग-1 नदी तल, देहरादून से लघु खनिजों के खनन के लिए कार्यकारी सारांश


साक्षरता जनसंख्या वितरण




कार्यशील जनसंख्या वितरण



कामकाजी आबादी का वितरण



मुख्य श्रमिकों का वितरण



(सी) जैविक पर्यावरण

प्रस्तावित परियोजना के अध्ययन क्षेत्र वन भूमि में स्थित है। स्थल अवलोकन एवं स्थानीय लोगों के परामर्श से अध्ययन क्षेत्र में पाये जाने वाले वनस्पतियों (वृक्षों, झाड़ियों, जड़ी- बूटियों तथा लताओं) की सूची से तैयार की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

अध्ययन क्षेत्र में पाये गये मुख्य वृक्ष एवं झाड़ी प्रजातियों में सेमल, मोहिन, रोहिणी, शीशम, बेल, नीम, सागौन, साल, ट्रेविया न्यूडिफ्लोरा, अडूसा, बोहेमेरिया मैक्रोफिला, प्रियांगू, करोंदा, चक्रमर्द, चमेली, लेनटाना, सोलनम टोरवम, बिच्छू घास आदि हैं तथा अपामार्ग, जंगली पुदीना, नागदोना, बथुवा, दुग्धिका, करंबल, अम्रुल, सर्पगन्धा, बला, छोटा गोखुरू आदि मुख्य औषधीय पादप हैं। इस परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में आई0सी0यू0एन0 में सूचीबद्ध कोई दुर्लभ या गंभीर रूप से संकटापन्न और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियां नहीं हैं।

परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पक्षी उड़ते हुए पाए गये किन्तु इस अध्ययन क्षेत्र में परिन्दा विशेष के घोंसला स्थल नहीं पाया गया। अध्ययन क्षेत्र में किसी भी प्रवासी परिंदों के पड़ाव स्थल नहीं पाये गये।

- परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में कोबरा (नाजा नाजा) और कॉमन ग्रीन व्हिप स्नेक (हिरोफिस विरिडीफ्लावस) जैसे सर्प पाये गये।
- परियोजना के अध्ययन क्षेत्र में उभयचर प्राणियों में कैस्केड मेंढक (राणा कैस्केडे), कॉमन एशियन टॉड (दत्तप्रीनस मेलानोस्टिक्टस) पीक सीजन के दौरान नदी के किनारे अधिक पाये गये। नदी में मछलियों की छोटी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

• इस क्षेत्र में लगभग 102 जन्तु प्रजातियों के पाया जाना संसूचित है, जिसमें 24 स्तनधारी, 51 पक्षी, 9 सरीसृप, 8 उभयचर और 10 तितलियों की प्रजातियां सम्मिलित हैं। आसपास के वन क्षेत्रों में संसूचित लुप्तप्राय वन्य जन्तुओं में हाथी (एलीफस मैक्सिमस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), तेंदुआ बिल्ली (प्रियोनेलुरस बेंगालेंसिस), बंगाल टाइगर (पेंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस), इंडियन पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकौडाटा) और भारतीय मोर (पावो क्रिटेटस) हैं, जिन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। सभी सूचीबद्ध प्रजातियों का मिलान IUCN रेड डेटा बुक तथा भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सूचीबद्ध प्रजातियों से की गई है।

5 प्रत्याशित पर्यावरण प्रभाव एवं शमन उपाय

(ए) वायु पर्यावरण

खनन क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता, खनन कार्य के दौरान उत्सर्जन की प्रकृति और सांद्रता के साथ-साथ वहाँ के मौसम संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

प्रत्याशित प्रभाव

• उपखनिजों का खनन कार्य ओपर कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड पद्यति से होने के कारण विभिन्न प्रकार के धूल कणों का उत्सर्जन वायु पर्यावरण को प्रभावित करने वाला मुख्य प्रदूषक होगा।

शमन उपाय

- अभिवहन में प्रयुक्त वाहनों के गति को खनन क्षेत्र के अन्दर नियन्त्रित रखा जायेगा, क्योंकि वाहनों की गति में वृद्धि के साथ-साथ धूल कणों का उत्सर्जन में भी वृद्धि होगी। वाहनों में उपखनिजों का ओवरलोडिंग से बचा जायेगा।
- उपखनिजों का अभिवहन ढके वाहनों के माध्यम से ही कराया जायेगा।
- धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु खनन क्षेत्र तथा वाहनों के पहुँच मार्गों पर नियमित जल छिड़काव कार्य किया जायेगा।
- कामगारों को मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए खनन कार्य में प्रयुक्त उपकरणों का अनुबंध के आधार पर नियमित रखरखाव किया जाएगा।
- पहुँच मार्ग के दोनों ओर पर्याप्त चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित की जायेगी।

(बी) शोर पर्यावरण

यह क्षेत्र आमतौर पर शांत वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र में कोई भारी यातायात, उद्योग या शोरगुल वाली बस्ती नहीं है। क्योंकि परियोजना ओपन कास्ट मैनुअल माइनिंग पद्धति के लिए प्रस्तावित है, इसलिए कोई ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग गतिविधियां नहीं होंगी।

प्रत्याशित प्रभाव

- प्रस्तावित परियोजना में शोर प्रदूषण का एक मात्र स्रोत वाहनों की आवाजाही होगी।
- ओपन कास्ट मैन्युअल पद्धति से खनन कार्य होने के कारण बेलचा, सब्बल आदि खनन उपकरणों से उत्पन्न होने वाले शोर का प्रभाव नगण्य होगा।

शमन उपाय

- उपखनिजों के अभिवहन में प्रयुक्त सभी वाहनों का उचित रखरखाव किया जाएगा जिससे वाहनों के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर को कम करने में मदद मिलेगी। उपखनिजों के खनन कार्य के दौरान अभिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को छोड़कर परियोजना स्थल में किसी अन्य यंत्रों के प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- खनन कार्य में प्रयुक्त हथ उपकरणों द्वारा उत्पन्न शोर अत्यन्त नगण्य होगा , जो परियोजना क्षेत्र के ध्वनि पर्यावरण पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- अनुमेय शोर स्तरों और उन स्तरों के अधिकतम जोखिम के बारे में श्रमिकों को जागरूकता प्रदान की जाएगी।

(सी) जल पर्यावरण

परियोजना क्षेत्र के भूगर्भीय एवं धरातलीय जलमण्डल पर खनन परियोजना का प्रभाव स्थल विशिष्ट होता है, जो खनिजों के विशिष्ट गुणों के साथ-साथ वहाँ के हाईड्रोलॉजी एवं जल दोहन की मात्रा पर निर्भर करता है।

प्रत्याशित प्रभाव

- नदी तल क्षेत्र में खनन से जल स्तर के प्रतिच्छेदन के कारण भूमिगत जल दूषित हो सकता है।
- खनन गतिविधि से निस्तारित अपशिष्ट धरातलीय जल को दूषित कर सकता है।
- नदी का पानी भूमिगत जल का पुनर्भरण करती है; उपखनिजों के अत्याधिक खनन के कारण नदीतल के प्राकृतिक छलनी (तलछट) की मोटाई कम होने से वहाँ का भूगर्भीय जलमण्डल का पुनर्भरण प्रभावित हो सकता है।

शमन उपाय

- उपखनिजों का चुगान की गहराई 3.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- उपखनिजों का खनन कार्य भूमिगत जल स्तर एवं नदी जल प्रवाह के स्तर से ऊपर सीमित रहेगा। अतः खनन कार्य के कारण स्थानीय जल व्यवस्था पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नहीं है।
- भूमिगत जल की जाँच हेतु नियमित परीक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- परियोजना कार्य में पीने एवं छिडकाव कार्य हेतु आवश्यक पानी की व्यवस्था टैंकर आपूर्ति के माध्यम से किया जायेगा।

- खनन कार्य के सम्पूर्ण गतिविधि में भूमिगत जल का दोहन करना समाहित नहीं है।

(डी) भूमि पर्यावरण

भूमि पर्यावरण पर खनन कार्य के प्रभाव का अध्ययन हेतु खनन एवं परियोजना के अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग पद्धति/भूमि आवरण, भूमि की स्थलाकृति, वहाँ की जल निकासी पैटर्न एवं भूगर्भीय गुणों पर विचार कर किया जा सकता है।

प्रत्याशित प्रभाव

- खनन गतिविधि से स्थलाकृति को प्रभावित किया जा सकता है।
- नदी तल खनन से खदान पट्टे के आस-पास के क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकता है।
- खनन गतिविधि से उत्पन्न ठोस कचरे के ढेर मानसून के मौसम में प्रवाह में बाधा डाल सकते हैं।

शमन उपाय

- उपयुक्त, स्थल विशिष्ट शमन उपायों को अपनाने से भूमि पर खनन के प्रभाव की मात्रा को कम किया जा सकता है। भूमि संबंधी कुछ शमन उपाय इस प्रकार हैं: -
- खनन कार्य के दौरान उत्पन्न गड्ढों का भरान आगामी मानसून वर्षा के दौरान प्राकृतिक रूप से स्वतः हो जायेगा तथा नदी तल अपने मूल रूप में बहाल हो जाएगा।
- खनन कार्य 3.00 मीटर की गहराई अथवा भूमिगत जल स्तर या नदी जल प्रवाह के स्तर तक ही सीमित रखा जायेगा।
- खनन प्रक्रिया में कोई ठोस अपशिष्ट का उत्पादन नहीं होगा। अतः खनन क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों के डम्पिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उपखनिज के अल्पमात्रा में छूटने वाले अपशिष्टों को खनन के कारण उत्पन्न गड्ढों को भरने हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
- नदी के दोनों किनारों पर नदीतल के कुल चौड़ाई का 25-25 प्रतिशत भूमि सेप्टी जोन के रूप में खनन कार्य से निषिद्ध रखा जायेगा।

(च) सामाजिक आर्थिक पर्यावरण

प्रत्याशित प्रभाव

- खनन कार्य के कारण परियोजना क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों के जनगणना सम्बन्धी आकड़ों पर प्रभाव।

- खनन कार्य के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार पर प्रभाव।

शमन उपाय :-

- उपखनिज चुगान एवं अभिवहन कार्य में यथासम्भव स्थानीय ग्रामीणों को योजित करने का प्रयास किया जायेगा। इससे परियोजना क्षेत्र एवं निकटवर्ती के ग्रामों में बाहरी श्रमिकों का जमावट न्यूनतम एवं अस्थायी रहेगा। अतः इस परियोजना के कारण स्थानीय ग्रामों के जनसंख्य सम्बन्धी आकड़ों पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।
- परियोजना कार्यों के संचालन के कारण स्थानीय ग्रामीणों को जहां उल्लेखनीय रूप से प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा, वहीं परियोजना में योजित श्रमिकों एवं वाहन चालकों के दैनिक उपभोग के सामग्रियों की आवश्यकता के कारण स्थानीय उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को अनेकों अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना बनेगी।
- खनन कार्य के द्वारा नदी जल प्रवाह को नदी तल के मध्य क्षेत्र में सकेन्द्रित करने के कारण निकटवर्ती ग्रामीणों के कृषि भूमि एवं आवासीय क्षेत्र में बाढ़ से क्षति पहुँचने की सम्भावना कम होगी।

(छ) ठोस अवशेष

प्रत्याशित प्रभाव

- चूंकि नदी के तल में व्यावहारिक रूप से कोई मिट्टी का आवरण नहीं पाया गया है, अतः इस परियोजना में कोई ठोस अपशिष्ट उत्पादन शामिल नहीं है।
- घरेलू सीवेज के अलावा कोई नगरपालिका अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा।

शमन उपाय

- खनन प्रक्रिया के दौरान नदी तल के ऊपरी सतह से अल्पमात्रा में उत्पन्न मृदायुक्त अपशिष्ट का प्रयोग वृक्षारोपण के कार्य में किया जायेगा।
- खनन कार्य में योजित श्रमिकों के दैनिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले घरेलू अपशिष्ट को सेप्टिक टैंकों के माध्यम से सोक पिट में डालकर निस्तारित किया जाएगा।

(ज) यातायात पर्यावरण

प्रत्याशित प्रभाव

- यातायात के घनत्व में वृद्धि से परियोजना क्षेत्र के वायु पर्यावरण में प्रदूषण फलेगा, जो परियोजना कार्य में योजित व्यक्तियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल कर उनमें फेफड़ों की बिमारी, कैंसर तथा अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
- वाहनों की आवाजाही के कारण परियोजना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण होगी।

शमन उपाय

- उपखनिजों के अभिवहन हेतु मात्र पीयूसी सर्टिफाईड वाहनों को ही किराये पर लिये जायेगा तथा वाहनों के नियमित रखरखाव हेतु वाहन स्वामियों को बाध्य किया जाएगा।
- श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- परियोजना क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से रोका जायेगा।

6. विकल्पों का विश्लेषण

क्योंकि यह परियोजना स्थल विशिष्ट है तथा उत्तराखण्ड राज्य के भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई के निदेशक द्वारा इस परियोजना क्षेत्र को उपखनिजों के खनन कार्य के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है। अतः किसी अन्य वैकल्पिक क्षेत्र पर विचार नहीं किया गया।

7. पर्यावरण अनुश्रवण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा खनन कार्य के लिए एक सुनियोजित पर्यावरण नीति तैयार की गयी है, जिसके तहत पर्यावरण के संरक्षण को रणनीतिक और प्रमुख स्थान दिया गया है। पर्यावरण मानकों के उल्लंघन या विचलन से निपटने के लिए निदेशक मंडल से लेकर सबसे निचले स्तर के कार्मिकों के साथ-साथ श्रेयधारकों के मध्य संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न प्रोटोकॉल प्रक्रियाओं का वर्णन ई0आई0ए0 के अध्याय—VI में किया गया है।

परियोजना संचालन के दौरान पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने के लिए पर्यावरण मानकों की नियमित अनुश्रवण की जाएगी। आधारभूत स्थितियों के ज्ञान के साथ, अनुश्रवण कार्यक्रम परियोजना के संचालन के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी भी गिरावट के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करेगा, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय पर उपयुक्त शमन कदम उठाने में सक्षम होगा।

8. अतिरिक्त अध्ययन

नदी तल से उपखनिजों के खनन कार्य के दौरान नदी तट के कटाव, खदान के ढह जाने, नदी में बाढ़ आने तथा उपखनिजों के अभिवहन के दौरान वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने जैसे सम्भावित जोखिम बनी रहती है। वर्तमान परियोजना में खनन कार्य मध्यम ढालदार नदी तल में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें उपखनिजों के चुगान हेतु 3.0 मीटर गहराई तक प्रस्तावित

होने के कारण खदान क्षेत्र के ढहने की सम्भावना नगण्य रहती है। खनन कार्य शुष्क मौसम में संचालित होने से बाढ़ के कारण क्षति पहुँचने की भी सम्भावना नहीं है।

9. परियोजना लाभ

रोजगार सृजन के माध्यम से यह परियोजना राज्य सरकार के राजस्व अर्जन के अलावा स्थानीय ग्रामीणों के आय सृजन एवं जीवन स्तर में वृद्धि लाने में सहायक होगा।

10 परियोजना लागत

गांव-बालावाला तहसील और जिला-देहरादून उत्तराखंड में 202.0 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए परियोजना लागत रु 4.18 करोड़ है।

11 पर्यावरण प्रबंधन योजना

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार, खनन कार्य के संचालन के दौरान अल्प मात्रा में उत्सर्जित धूल के अलावा खनन कार्य का स्थानीय पर्यावरण पर कोई वृहद प्रभाव नहीं है। विभिन्न शमन प्रक्रियाओं को क्रियान्वित कर प्रदूषण के विभिन्न घटकों को अनुमेय सीमा के भीतर सीमित करने की कार्यवाही की जायेगी। परियोजना क्षेत्र के सम्पर्क मार्ग के दोनों ओर तथा परियोजना क्षेत्र के निकट स्थित राजकीय भवनों के चारों ओर वृक्षारोपण कार्य के द्वारा पर्याप्त चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जायेगा, जो प्रदूषण शमन का प्रभावी साधन बनने के साथ-साथ वर्षाकाल में मृदाक्षरण को रोकने में सहायक सिद्ध होगा।

परियोजना क्षेत्र में उपखनिजों के चुगान, अभिवहन व वृक्षारोपण कार्यों के द्वारा सृजित रोजगार के वृहद अवसर के कारण स्थानीय ग्रामीणों के जीवन यापन स्तर में सुधार होगा।

खनन कार्य में योजित कार्मिकों के व्यवसायिक स्वास्थ्य हेतु रु. 1.00 लाख (पूँजी लागत) और रु. 5.0 लाख/वार्षिक(लागत आवर्ती) का बजट का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में रु. 95.7 लाख/वार्षिक (पूँजी लागत) और रु0 23.53 लाख/वार्षिक (आवर्ती लागत) का बजट पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु रखा गया है।

12 निष्कर्ष

प्रस्तावित परियोजना स्थानीय लोगों को विभिन्न गतिविधियों जैसे खनन, परिवहन और वृक्षारोपण गतिविधियों में रोजगार प्रदान करेगी। परियोजना गतिविधि का पर्यावरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजना के खनन के बाद के चरण में, मौजूदा भूमि का उपयोग अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि खनन कार्य के कारण बने रिक्तियाँ मानसून के मौसम के दौरान प्राकृतिक रूप से स्वतः भर जाएंगी। परियोजना से उत्पादित बालू, बजरी और बोल्टर का उपयोग भवन निर्माण, बुनियादी संरचनाओं के निर्माण जैसे विकासपरक गतिविधियों में किया

जाएगा। अतः इस परियोजना को स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ राज्य एवं राष्ट्रहित में जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न गतिविधियों जैसे उपखनिजों के चुगान अभिवहन तथा वृक्षारोपण कार्य स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

प्रस्तावित परियोजना उपखनिजों के चुगान अभिवहन तथा वृक्षारोपण कार्य के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। इस परियोजना के संचालन से क्षेत्र के पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजना के बाद के चरण में मौजूदा भूमि का भू-उपभोग अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि खनन काय्य के कारण नदीतल में बने रिक्तियाँ मानसून वर्षा के दौरान प्राकृतिक रूप से स्वतः भर जायेगा। परियोजना से उत्पादित उपखनिज का प्रयोग स्थानीय अथवा राज्य स्तर पर भवनों एवं बुनियादी संरचनाओं के निर्माण में किया जायेगा।

अतः इस परियोजना को स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ राज्य एवं राष्ट्र हित में शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।